

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 05 सन 2022

अनवान :-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम जाति कुम्हार ( प्रजापति ) निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित :- श्री सजय कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
निर्णय दिनांक :- 11/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 4 बाराणी के खाता संख्या 44/44 की कुल 2.5300हैक् भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजेन्द्र पुत्र जसराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , मामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 4 बाराणी के खाता संख्या 44/44 की कुल 2.5300हैक् भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जसराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेशकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बाराणी के खाता संख्या 44/44 की कुल 2.5300हैक् भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजेन्द्र पुत्र जसराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम है यही नाम अन्य सभी

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 44/44 की कुल 2.5300हैक् मूमि जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा मूमि खातेदार कारतकार है जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जसराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशपा के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पैरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 44/44 की कुल 2.5300हैक् मूमि जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जसराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 05/2022 अनवानी राजेन्द्र बनाम सरकार में पारित  
निर्णय की पालना करवाने के सम्वध मे।

प्रसंग :- अनवान :-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवारी  
जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला  
हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 05/2022 अनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम  
सरकार में दिनांक 11/2/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाकर रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 44/44 की कुल 2.5300 हैक् भूमि जिसमें  
प्रार्थी का 1/7 हिस्सा में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जसराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र  
जसराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन  
किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढी )  
नोहर